मेरा वोट, मेरा अधिकार

मैं अपने वोट को सुरक्षित कैसे करूं?

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के भीतर की प्रक्रिया

घातक समय-सीमाएं, प्रक्रियात्मक रूप से मताधिकार से वंचित करना और दावों और आपत्तियों की अवधि की जमीनी हकीकत तथा SIR नोटिस/सुनवाई

अपनी लोकतांत्रिक आवाज की रक्षा करना

SIR प्रक्रिया पर हमारा रुख: एक थोपा गया बोझ, कोई मान्य प्रक्रिया नहीं

- कोई समर्थन नहीं: हम मूल रूप से वर्तमान, जल्दबाजी में की गई 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रिया को स्वीकार या उसका समर्थन नहीं करते हैं। यह एक अवैध, असंवैधानिक प्रक्रिया है जिसे बड़े पैमाने पर लोगों के मताधिकार छीनने के लिए तैयार किया गया है। पिछली ऐसी प्रक्रियाएं इस तरह से नहीं की गई थीं।

- संविधान का उल्लंघन: हालांकि घोषित उद्देश्य यह है कि "कोई भी मतदाता न छूटे" और डुप्लीकेट या मृत मतदाताओं को सूची से हटाया जाए, लेकिन वर्तमान SIR प्रक्रिया, संविधान को बचाने की आड़ में, असल में भारत के संविधान का ही उल्लंघन है।

- हम यहां क्यों हैं: यह प्रक्रिया नागरिकों पर जबरदस्ती थोपी गई है। एक जिम्मेदार नागरिक समूह के तौर पर, हम यह प्रशिक्षण आपको आपके अधिकारों की रक्षा करने और इस असंवैधानिक बाधा से निपटने के लिए जरूरी साधन देने के उद्देश्य से दे रहे हैं; इसका उद्देश्य इस प्रक्रिया को वैधता प्रदान करना बिल्कुल नहीं है।

नोट: 2003 की SIR प्रक्रिया में तीन पहलू मूल रूप से अलग थे। पहला, यह प्रक्रिया छह महीने तक चली थी। दूसरा, 2003 के दिशानिर्देशों में कहा गया था कि विशेष पुनरीक्षण में "मौजूदा मतदाता सूचियों को आधार बनाकर घर-घर जाकर सत्यापन करना शामिल होगा।" तीसरा, 2003 के दिशानिर्देश यह भी दिखाते हैं कि मौजूदा मतदाता सूची और EPIC (इलेक्ट्रॉनिक मतदाता फोटो पहचान पत्र) ही 2003 की प्रक्रिया का आधार थे। इसके विपरीत, 2025-2026 में, चुनाव आयोग ने न केवल उन 11 दस्तावेजों की सूची से मतदाता पहचान पत्रों को बाहर कर दिया है जिन्हें मतदाताओं की पात्रता के प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता था, बल्कि उसने सर्वोच्च न्यायालय में भी इन्हें शामिल किए जाने का विरोध किया है।

अपनी लोकतांत्रिक आवाज की रक्षा करना

आप अकेले नहीं हैं- आपका वोट देने का अधिकार पूरा है,
आपकी नागरिकता एक अंतर्निहित गारंटी है

- अनुच्छेद 326 की शक्ति: वोट देने का आपका अधिकार एक मौलिक संवैधानिक गारंटी है। इसे किसी दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर या जल्दबाजी में तय की गई प्रशासनिक समय-सीमाओं के आधार पर मनमाने ढंग से खत्म नहीं किया जा सकता।

- नागरिकता की कानूनी धारणा: सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक 'लाल बाबू हुसैन 1995' फैसले के अनुसार, यदि आपके पास EPIC (वोटर ID) है और आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, तो कानून यह मानकर चलता है कि आप पात्र हैं। आप एक नागरिक हैं, कोई संदिग्ध नहीं।

- राज्य का वास्तविक दायित्व: चुनाव आयोग का कानूनी जनादेश यह सुनिश्चित करना है कि "कोई भी पात्र नागरिक छूट न जाए।" SIR नोटिस केवल एक पूछताछ है, न कि लोकतंत्र से बेदखली।

SIR नोटिस को समझना: जमीनी हकीकत

एक सिस्टम से जुड़ी रुकावट, कोई अंतिम फैसला नहीं

- **एल्गोरिदम का जाल:** लाखों वैध वोटरों (जैसे पश्चिम बंगाल में 1.4 करोड़) को नोटिस मिले, क्योंकि एक ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया जिसकी जांच नहीं हुई थी और जो 2002-2004 की वोटर लिस्ट से रिकॉर्ड का मिलान करने की कोशिश कर रहा था।

- **सिस्टम की गलतियों की वजह से नोटिस जारी हुए**

  ► अनुवाद की कमियां: ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर ने जबरदस्ती क्षेत्रीय नामों (जैसे बंगाली) का अंग्रेजी में अनुवाद किया और स्पेलिंग की छोटी-मोटी गलतियों को "संदिग्ध" बताकर निशान लगा दिया।

  ► उम्र के अंतर से जुड़ी गड़बड़ियां: एल्गोरिदम ने परिवार के सदस्यों की उम्र के अंतर का गलत हिसाब लगाया, जिससे कई वैद्य परिवारों को भी संदिग्ध बता दिया गया।

हकीकत क्या है? इस नोटिस का मतलब है कि अब आपको कानूनी तौर पर सिस्टम को यह मानने के लिए मजबूर करना होगा कि कंप्यूटर जिस मानवीय सच्चाई को जांचने में नाकाम रहा, वह असल में मौजूद है।

"लिगेसी डेटा" का खतरा

अतार्किक ऐतिहासिक मांगों का सामना करना

- मुख्य चुनौती: प्रशासन उम्मीद करता है कि वोटर 20 साल पुराना वंशावली डेटा पेश करें। इससे किरायेदारों, विस्थापित लोगों और वंचित समूहों को असमान रूप से नुकसान होता है, जिनके पास ऐतिहासिक कागजात नहीं होते।
- कानूनी बचाव: भले ही आप 2003 की सूचियों में अपने माता-पिता के नाम न ढूंढ पाएं, फिर भी आपके वर्तमान, दस्तावेजों से प्रमाणित अस्तित्व की गहरी संवैधानिक वैधता है।
- अपने हाल के प्राथमिक दस्तावेजों पर मजबूती से कायम रहें। लिगेसी डेटा की कमी आपके मौजूदा अधिकारों को खत्म नहीं करती।
- अपना बचाव: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4) (जिसे **Election Laws (Amendment) Act, 2021** द्वारा संशोधित किया गया है), निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी **(EROs)** को यह अधिकार देती है कि वे मौजूदा या संभावित मतदाताओं से उनकी पहचान की पुष्टि करने और मतदाता सूची में दर्ज जानकारियों को प्रमाणित करने के लिए आधार नंबर ले सकें।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(5) (जिसे 2021 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था), मतदाता सूची में दर्ज जानकारियों को प्रमाणित करने के लिए आधार को मतदाता सूची से स्वेच्छा से जोड़ने की अनुमति देती है। मतदाता अपना आधार नंबर फॉर्म 6B के जरिए जमा कर सकते हैं, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है; यदि कोई उचित कारण बताया जाता है, तो आधार नंबर न दे पाने के कारण किसी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जा सकता।

नोट: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के पृष्ठ संख्या 16 को डाउनलोड करें, जिसमें धारा 23 (4 और 5) की प्रति शामिल है, और इस बात पर जोर दें कि इसे स्वीकार किया जाए। यदि इसे स्वीकार नहीं किया जाता है, तो संबंधित अधिकारी से एक लिखित नोट देने पर जोर दें, जिसमें यह लिखा हो कि इसे स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है।

अपनी पहचान स्थापित करना

नियमों का पालन अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट के आदेश

- नागरिकों की सुरक्षा के लिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बाध्यकारी दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। अधिकारियों के लिए इन मूल दस्तावेजों को स्वीकार करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।

- **आयु, माता-पिता की पहचान और शैक्षिक सत्यापन के लिए**: आपका वैध एडमिट कार्ड और माध्यमिक (10वीं कक्षा) की मार्कशीट। (सुप्रीम कोर्ट के दिनांक **19.01.2026** और **25.02.2026** के आदेशों द्वारा अनिवार्य)

- प्राथमिक पहचान के लिए: आपका आधार कार्ड। (सुप्रीम कोर्ट के दिनांक **08.09.2025** के आदेश द्वारा अनिवार्य)

नोट: इन मूलभूत दस्तावेजों का पूरा कानूनी महत्व है। स्थानीय **EROs** (निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों) के पास इन्हें अस्वीकार करने का कोई विवेकाधीन अधिकार नहीं है।

cjp.org.in
मताधिकार फक्त लोकशाहीसाठी | VOTE FOR DEMOCRACY

अतिरिक्त रिकॉर्ड व्यवस्थित करना

मजबूत और सुरक्षित दस्तावेज़ व्यवस्था बनाना

- हालांकि आधार और माध्यमिक की मार्कशीट आपके प्राथमिक सुरक्षा कवच हैं, लेकिन एक मजबूत पूरक फाइल नौकरशाही के किसी भी बहाने की गुंजाइश को खत्म कर देती है। एक स्पष्ट समय-सीमा (timeline) तैयार करें:
- 1987 से पहले जारी किए गए पहचान पत्र या पेंशन आदेश
- हाल के, लगातार आने वाले यूटिलिटी बिल, राशन कार्ड (पीले कार्ड) या स्थानीय निवास प्रमाण पत्र *
- पासपोर्ट, बैंक पासबुक या रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट
- एक व्यवस्थित फाइल समीक्षा करने वाले अधिकारी को आपके निवास से जुड़े एक अकाट्य और दस्तावेजों में दर्ज सच को स्वीकार करने के लिए बाध्य कर देती है।

* आबादी का एक बड़ा हिस्सा किराए के या किसी अन्य प्रकार से आवंटित घरों में रहता है, या फिर बेघर ही है; ऐसे में वे क्या सबूत पेश कर सकते हैं?

गलत इरादे से की गई आपत्तियों से निपटना

फॉर्म 7 का हथियार के रूप में इस्तेमाल

- **खतरा :** फॉर्म-7 का गलत इरादे वाले लोग नियमित तौर पर सही वोटर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर, धोखाधड़ी वाली आपत्तियां फाइल करने के लिए हथियार बनाते हैं..(संगठित राजनीतिक लोग इस तरह कमजोर और हाशिए पर पड़े लोगों को टारगेट कर रहे हैं)

- **जमीनी हकीकत :** जांच में पता चला है कि लोग दर्जनों नकली आपत्तियां फाइल कर रहे हैं, ऐसी भाषाओं में फर्जी सिग्नेचर बना रहे हैं जिन्हें आपत्ति करने वाला लिख नहीं सकता और यहां तक कि जिंदा लोगों को भी "मृत" बता दिया जा रहा है।

- **आपका पूरा अधिकार :** अगर आपका नोटिस फॉर्म-7 से आया है तो आपको उस व्यक्ति का सही नाम और डिटेल्स मांगने का कानूनी अधिकार है जिसने आपके खिलाफ इसे फाइल किया है>

नोट:

(i) अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर उस व्यक्ति द्वारा सत्यापित किए जाने चाहिए, जिसकी ओर से वह प्रतिनिधित्व कर रहा है (फॉर्म 7 डीलीशन की मांग के मामले में)।

(ii) ECI द्वारा मतदाता को भेजे गए नोटिस की एक प्रति और आपत्ति की एक प्रति की मांग करें, ताकि उस व्यक्ति की पहचान पता चल सके जिसने हटाने का अनुरोध किया है; साथ ही मांग करें: a) संबंधित अधिकारी द्वारा की गई जांच की एक प्रति, जिसने हटाने का आदेश दिया था, b) RP अधिनियम 1950 की धारा 22 (c) और नियम 21 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन का विवरण, और c) धारा 21 (c) के तहत हटाने के आदेश की एक प्रति। सुनिश्चित करें कि आप सुनवाई के लिए 'मतदाता नियम, 1960' के नियम 21 A की एक प्रति अपने साथ ले जाएं और आवश्यकता पड़ने पर उसे प्रस्तुत करें।

काउंटर स्ट्राइक: झूठे दावों को नाकाम करना

धोखेबाज आपत्तिकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई

- **कानून आपके साथ है:** झूठा बयान या आपत्ति दर्ज करना एक अपराध है, जिसके लिए 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 31 के तहत एक वर्ष तक की कैद और/या जुर्माना हो सकता है।

- **कार्रवाई करें:** झूठे आपत्तिकर्ताओं को बेनकाब करें, उन्हें छिपने का मौका न दें। हम आपको कानूनी नोटिस भेजने और उन लोगों के खिलाफ औपचारिक पुलिस शिकायत दर्ज करने में सहायता करेंगे, जो आपके मतदान के अधिकार छीनने की कोशिश करते हैं।

प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत

अपनी बात सुने जाने के पूर्ण अधिकार की मांग

- संवैधानिक कानून यह निर्धारित करता है कि राज्य किसी भी नागरिक को, एक निष्पक्ष और पारदर्शी सुनवाई के बिना, उसके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता। आपकी बात सुने और दर्ज किए बिना, आपको सूची से हटाया नहीं जा सकता।

- निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) आपके दस्तावेजों की जांच धैर्यपूर्वक और निष्पक्ष रूप से करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है।

- यह सुनवाई एक कानूनी प्रक्रिया है; इसमें आपकी आवाज, आपकी भौतिक उपस्थिति और आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल साक्ष्य ही अंतिम निर्णय को निर्धारित करते हैं।

सुनवाई की प्रक्रिया

अपनी बात पर कायम रहना: क्या उम्मीद करें

- **अधिकृत प्रतिनिधित्व:** सुप्रीम कोर्ट (19 जनवरी, 2026) ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है कि आपको इस स्थिति का सामना अकेले नहीं करना है। आप अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं और किसी अधिकृत प्रतिनिधि या बूथ लेवल एजेंट (BLA) के साथ सुनवाई में शामिल हो सकते हैं।

- **तैयार रहें:** अपने मूल दस्तावेजों और अपनी खुद से सत्यापित (self-attested) फोटोकॉपी का एक सेट लेकर आएं, ताकि उन्हें आधिकारिक रिकॉर्ड के लिए जमा किया जा सके।

सीधे अपने दस्तावेजों की ओर इशारा करें। अपने तथ्य सरल और ईमानदारी से बताएं।

गलतियों/अंतर को सहज तरीके से ठीक करना

सिस्टम की गलतियों के लिए दंड स्वीकार न करना

- अधिकारी अक्सर मामूली विसंगतियों – अनुवाद किए गए उपनाम में एक अक्षर की गलती या उम्र संबंधी एल्गोरिदम त्रुटि – को अस्वीकृति का आधार बनाने का प्रयास करते हैं।
- इन्हें स्पष्ट रूप से सॉफ्टवेयर अनुवाद की गलतियां या लिपिकीय गलतियां बताएं। न्यायाधिकरण को याद दिलाएं कि प्रशासनिक टाइपो किसी व्यक्ति के जीवन को अमान्य नहीं ठहराता।
- इन मामूली कमियों को दूर करने के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करें और मांग करें कि इसे आधिकारिक अभिलेख में दर्ज किया जाए।

जमीनी हकीकत को समझना

प्रतिकूल या दबाव वाले माहौल से निपटना

- यह समझें कि बूथ लेवल अधिकारी (BLOs) और स्थानीय कर्मचारी बहुत ज्यादा, थकाने वाले प्रशासनिक दबाव में काम कर रहे हैं, जिससे काम का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है।

- अपने संवैधानिक अधिकारों के मामले में एक गरिमापूर्ण, सहयोगपूर्ण, लेकिन पूरी तरह से अडिग रवैया बनाए रखें।

नियम: यदि कोई अधिकारी वैध, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य दस्तावेजों को स्वीकार करने से मना करता है तो विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से मांग करें कि वे अपनी अस्वीकृति और उसका कानूनी कारण लिखित रूप में दें।

अपील का पहला चरण

गलत तरीके से नाम हटाए जाने के खिलाफ लड़ाई: पहली अपील

- यदि **ERO** (निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी) गलत तरीके से आपके सत्यापन को अस्वीकार कर देता है और आपका नाम हटा देता है, तो कानूनी तौर पर उसके लिए एक "स्पष्ट/तर्कसंगत आदेश" पारित करना अनिवार्य है।

- पहली अपील: यदि आपका नाम मनमाने ढंग से हटा दिया जाता है, तो नियम 23 के तहत आपके पास तत्काल यह अधिकार है कि आप जिला मजिस्ट्रेट **(DM)** / जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष एक औपचारिक 'अपील ज्ञापन' **(Memorandum of Appeal)** दायर करें।

- यह अपील औपचारिक रूप से 'प्राकृतिक न्याय' के उल्लंघन को चुनौती देती है और आपके नाम की तत्काल शामिल करने की मांग करता है।

अपील का दूसरा स्तर

उच्चतम स्तरों तक पहुंचना: न्यायिक सुरक्षा कवच

- यदि **DM** आपके अधिकारों को बहाल करने में विफल रहते हैं, तो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी **(CEO)** के पास दूसरी अपील दायर की जानी चाहिए।

- सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप **(10 मार्च, 2026): SIR** में मौजूद गंभीर खामियों को स्वीकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अपीलीय निकायों के गठन का निर्देश दिया है, जिनमें हाई कोर्ट के पूर्व या वर्तमान न्यायाधीश शामिल होंगे। इन निकायों का गठन विशेष रूप से उन मतदाताओं के मामलों की सुनवाई के लिए किया गया है, जिनकी पात्रता को गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया गया था।

सतर्क रहना और कमजोर लोगों की सुरक्षा करना

सामुदायिक सुरक्षा और लगातार निगरानी

- **सबूत की मांग करें:** सुनवाई से तब तक बाहर न निकलें, जब तक आपको कोई आधिकारिक, हस्ताक्षर की गई रसीद न मिल जाए।

- **सामुदायिक एकजुटता:** बुज़ुर्गों, दिहाड़ी मजदूरों और कम पढ़े-लिखे लोगों की उनके मूल दस्तावेज इकट्ठा करने और सुनवाई में शामिल होने में सक्रिय रूप से मदद करें।

- **पूरक सूचियां:** सुप्रीम कोर्ट (24 फरवरी, 2026) ने आदेश दिया है कि सत्यापित मतदाताओं को शामिल करने के लिए पूरक सूचियां लगातार प्रकाशित की जाएं। जब तक आपका नाम सुरक्षित न हो जाए, तब तक ऑनलाइन पोर्टल पर नजर बनाए रखें।

स्वीकार्य दस्तावेजों की आधिकारिक सूची

- अपनी सुनवाई के लिए, इनमें से किसी भी वैध प्रमाण की स्व-प्रमाणित **(Self-Attested)** प्रतियां साथ लाएं:
- सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण, स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची का विस्तार किया गया है। इस सांकेतिक (पूरी नहीं) सूची में निम्नलिखित शामिल हैं:
- किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/**PSU** के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।
- भारत में सरकार/स्थानीय अधिकारियों/बैंकों/डाकघर/**LIC/PSU** द्वारा **01.07.1987** से पहले जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/दस्तावेज।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट।
- मान्यता प्राप्त बोर्डों/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी किया गया मैट्रिक/शैक्षिक प्रमाण पत्र।
- सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- वन अधिकार प्रमाण पत्र।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया OBC/SC/ST या कोई भी जाति प्रमाण पत्र।
- नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहां भी यह मौजूद हो)।
- राज्य/स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।
- सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र।
- आधार के संबंध में, आयोग के निर्देश, जो पत्र संख्या **23/2025 ERS/ Vol.II** दिनांक **09.09.2025** (परिशिष्ट **II**) के माध्यम से जारी किए गए थे, लागू होंगे। (नोट: इसे बिहार में स्वीकार नहीं किया गया था)
- माध्यमिक (कक्षा **10**) का प्रवेश पत्र **(Admit Card)** या उत्तीर्ण प्रमाण पत्र (**SC** द्वारा दिनांक **19.01.2026** के आदेश के माध्यम से अनिवार्य किया गया)।

cjp.org.in
मताधिकार फॉर लोकशाहीसाठी
VOTE FOR DEMOCRACY

बेहतर लोकतंत्र के लिए कार्य योजना: SIR प्रक्रिया में आपकी भूमिका

SIR प्रक्रिया में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नागरिक और नागरिक समाज क्या कर सकते हैं

- **मतदाता सहायता केंद्र स्थापित करें:** ग्राम पंचायत स्तर पर सहायता केंद्र बनाने की वकालत करें, ताकि नागरिकों को मैपिंग और दस्तावेजीकरण में मदद मिल सके; यह पश्चिम बंगाल में लागू सफल मॉडलों जैसा ही होगा।
- **दस्तावेज जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाएं:** व्यवस्थागत बदलावों और सख्त सरकारी निर्देशों के लिए दबाव बनाएं, ताकि उन लोगों को आसानी से जाति या निवास प्रमाण पत्र जारी किए जा सकें जिनके पास उचित दस्तावेज नहीं हैं; इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी असली मतदाता छूट न जाए, जैसा कि केरल में हुआ है।
- **स्थानीय प्रतिनिधियों और अधिकारियों को प्रशिक्षित करें:** मंत्रियों, विधायकों, बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLOs) और बूथ स्तरीय एजेंटों (BLAs) के लिए व्यापक प्रशिक्षण की मांग करें, ताकि वे प्रभावी ढंग से घर-घर जाकर दौरे कर सकें और मतदाता सूची में पात्र नामों को शामिल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर सकें; इसके लिए तमिलनाडु से प्रेरणा ली जा सकती है।
- **सार्वजनिक सोशल ऑडिट अनिवार्य करें:** राज्य चुनाव आयोग पर दबाव बनाएं कि वह मतदाता सूची के संशोधन के लिए सार्वजनिक सोशल ऑडिट करे। इसमें ग्राम सभाएं और वार्ड सभाएं आयोजित करना शामिल है, ताकि फर्जी वोटों को खुले तौर पर उजागर किया जा सके और जन जागरूकता बढ़ाई जा सके।
- **राज्य नेतृत्व के साथ जुड़ें:** चुने हुए अधिकारियों, पार्टी नेताओं और सरकारी सचिवों के साथ लगातार बातचीत करें, ताकि राजनीतिक इच्छाशक्ति का निर्माण हो सके और सोशल ऑडिट को एक अमूर्त आदर्श से बदलकर एक व्यावहारिक वास्तविकता बनाया जा सके।
- **शहरी पायलट कार्यक्रम चलाएं:** स्थानीय विधायकों के साथ मिलकर जटिल शहरी निर्वाचन क्षेत्रों में प्रायोगिक सोशल ऑडिट शुरू करें, जहां सामान्य वार्ड सभाएं शायद पर्याप्त न हों; इसके माध्यम से शहरी स्तर पर जवाबदेही के लिए नए तरीके विकसित किए जा सकेंगे।

क्यों सामाजिक ऑडिट हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है

सोशल ऑडिट और संस्थागत जनादेश

- **संवैधानिक आधार:** भारत का संविधान, अनुच्छेद 243A और 243J के तहत, नागरिकों को स्थानीय स्तर पर होने वाली गतिविधियों की निगरानी और ऑडिट करने का अधिकार देता है।
- **स्थापित उदाहरण:** सोशल ऑडिट एक संस्थागत और कानूनी रूप से अनिवार्य व्यवस्था है, जिसका उपयोग विभिन्न जन-आधारित कार्यक्रमों (जैसे MGNREGA, खाद्य सुरक्षा अधिनियम) में किया जाता है; इसकी स्वतंत्रता और प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए इसे CAG के विशिष्ट मानकों का समर्थन प्राप्त है।
- **चुनाव आयोग की सत्यनिष्ठा :** भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने आधिकारिक तौर पर अपने 'मतदाता सूची नियमावली' (दिसंबर 2023) में सोशल ऑडिट की विशेषताओं को शामिल किया है।
- **अनिवार्य सार्वजनिक पाठ:** ECI की नियमावली के पैरा 11.2.4(vi) और पैरा 24.1.2 के तहत, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (EROs) को यह सुनिश्चित करना होगा कि बूथ स्तरीय अधिकारी (BLOs) ग्राम सभा या वार्ड समिति की बैठकों के दौरान मतदाता सूची के मसौदे को जोर से पढ़कर सुनाएं।
- **न्यायिक समर्थन:** सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी CAG के सोशल ऑडिट मानकों की समीक्षा की है और वैधानिक कार्यान्वयन में उनके इस्तेमाल का निर्देश दिया है, जिससे उनकी कानूनी वैधता और मजबूत हुई है।
- **मूल उद्देश्य:** मतदाता सूचियों पर सोशल ऑडिट लागू करने का अंतिम उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता अपने मतदान के अधिकार से वंचित न रहे और साथ ही, हेरफेर की गई सूचियों के माध्यम से होने वाले अवैध मतदान को भी रोका जा सके।

आपका वोट, आपकी आवाज: सोशल ऑडिट प्रक्रिया को समझना

सोशल ऑडिट प्रक्रिया के बारे में मतदाताओं को क्या जानना चाहिए

- **पहले से जानकारी का अधिकार:** मतदाताओं को जन सुनवाई से कम से कम 15 दिन पहले मौजूदा मतदाता सूची, संशोधित सूची, और जोड़े गए, हटाए गए नामों तथा लंबित दस्तावेजों की सूचियों तक एक्सेस दी जानी चाहिए।
- **घर-घर जाकर सहायता:** BLOs को घर-घर जाकर गणना करनी चाहिए; वे अपने साथ खाली 'फॉर्म 6' ले जाएं ताकि मतदाताओं को प्रक्रिया समझा सकें और उनकी सहायता कर सकें- इस शुरुआती चरण में उन्हें कोई भी दस्तावेज जमा नहीं करना है।
- **जन सुनवाई में भागीदारी:** मतदाताओं को जन सुनवाई में शामिल होने के लिए बुलाया जाता है, जहां BLO नए मतदाताओं के नाम, हटाए गए मतदाताओं के नाम (कारण सहित), और दावों तथा आपत्तियों का विवरण जोर से पढ़कर सुनाएंगे।
- **गवाही देने और असहमति जताने का अधिकार:** सुनवाई के दौरान, कोई भी निवासी सूची में दर्ज प्रविष्टियों की पुष्टि करने या उनका विरोध करने के लिए गवाही दे सकता है। पूरी कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और मतदाताओं द्वारा जताई गई किसी भी असहमति को आधिकारिक तौर पर दर्ज किया जाना चाहिए।
- **निर्णयों में पारदर्शिता:** सुनवाई के 48 घंटों के भीतर, बूथ-वार कार्यवाही का विवरण (मिनट्स) और आपत्तियों का विवरण प्रकाशित किया जाना चाहिए। BLOs को दावों पर 7 दिनों के भीतर 'स्पष्ट आदेश' (speaking orders) जारी करने होंगे।
- **अपील का अधिकार:** सुनवाई के दो सप्ताह के भीतर, 'की गई कार्रवाई की रिपोर्ट' (Action Taken Report) सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मतदाताओं को उनकी मतदाता सूची की स्थिति के संबंध में अपील दायर करने की समय-सीमा, अपीलीय अधिकारियों और प्रक्रियाओं के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए।

वास्तविक एजेंडा

एक असंवैधानिक अतिक्रमण शीर्षक: तानाशाही फैसलों के खिलाफ लोकतंत्र की रक्षा

- **संस्थागत दायित्व-त्याग:** ECI ने खुद को कानून से ऊपर मान लिया है। 11 दस्तावेजों की मांग करके और अनधिकृत गणना फॉर्म का इस्तेमाल करके, वे 'मतदाताओं के पंजीकरण नियम, 1960' के नियम 8 और 9 का उल्लंघन कर रहे हैं, और अनुच्छेद 327 और 328 के विधायी निर्देशों की अनदेखी कर रहे हैं।

- वंचित लोगों को निशाना बनाना: स्थानीय अधिकारियों की जगह केंद्रीयकृत नोटिसों के जरिए मतदाताओं को अचानक बड़े पैमाने पर सूची से हटाना एक स्पष्ट साजिश का खुलासा करता है यानी अल्पसंख्यकों, SC/STs और वंचित लोगों को बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करना। यह मध्ययुगीन प्रथाओं की तरफ जाने वाला कदम है।

- निरंकुशता के संकेत: इस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की आधिकारिक घुसपैठ, अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले, नेतृत्व का अपमानजनक रवैया, आधार को अवैध रूप से अस्वीकार करना (RPA 1950 की धारा 23 का उल्लंघन) और आधिकारिक संचार पर बाहरी पक्षपातपूर्ण प्रतीकों का इस्तेमाल- ये सभी एक कमजोर और पक्षपातपूर्ण संस्था के स्पष्ट संकेत हैं।

- अंतिम लक्ष्य: ECI के अपने ही सॉफ्टवेयर द्वारा पैदा की गई विसंगतियों, टाइपिंग की गलतियों और बेमेल जानकारियों को आपके वोट देने के अधिकार को छीनने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस विभाजनकारी एजेंडे को हराने के लिए हमें एकजुट होना होगा! हमारी संविधान सभा ने, भारतीय संविधान में 'सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार' को लागू करने से पहले उस पर जो बहस की थी, उसका उद्देश्य एक जीवंत और समावेशी नागरिकता के उन बुनियादी सिद्धांतों को स्थापित करना था, जिन्हें हमारे लोकतंत्र में पूर्ण भागीदारी और प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलना चाहिए!

मेरा वोट, मेरा अधिकार

इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं

प्रशासन की मुश्किल प्रक्रियाओं का सामना करना और वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल रखने के अपने मौलिक अधिकार के लिए लड़ना, बहुत ज्यादा तनाव भरा हो सकता है। जब आपको सिस्टम से जुड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, तो खुद को अलग-थलग महसूस करना, गुस्सा आना या घबराहट होना बिल्कुल सामान्य बात है।

अगर आप अब भी खुद को अलग-थलग और घबराया हुआ महसूस कर रहे हैं, तो हमसे संपर्क करें:

- फोन: +91 75066 61171
- ईमेल: votefordemoc@gmail.com | info@cjp.org.in

हम हमेशा आपके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर हैं।